[भारत के राज-पत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त-मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०. 32/2018-सीमाशुल्क (एडीडी)

नयी दिल्ली ,दिनांक 1 जून, 2018

सा॰ का. नि. …. (अ). – जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'डिजिटल आफ़सेट प्रिंटिंग प्लेट्स' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के आयात पर भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2012-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 के तहत लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/24/2016-डीजीएडी, दिनांक 25 अप्रैल 2017, जिसे दिनांक 25 अप्रैल 2017 को भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग I खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमाशुल्क टेरीफ़ अधिनियम 1975 (1975 का 51)(एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टेर्फ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप-दारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टेरीफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में सनसेट रिव्यू का काम शुरू किया है ;

और जहां कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की आवधि को भारत सरकार वित्त-मंत्रालय (राजस्व-विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 2 जून 2017,

जिसे सा. का. नि. 549(अ), दिनांक 25 अप्रैल 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 3 जून 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे अधिसूचना संख्या फा. सं. 15/24/2016/डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 23 अप्रैल 2018 को प्रकाशित, में प्रकाशित किया गया है, में इस निर्णय पर पाहुचते हैं कि:

(i) घरेलू उद्योग (परिमाण और मूल्य दोनों ही दृष्टि से) वित्तीय और आर्थिक दोनों ही प्रतिमानों से स्थिर रहा है, और ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है जिसके लिए प्रतिपातन शुल्क को जारी रखने कि जरूरत हो;

(ii) उपयोग करता संघ/ उपयोग कर्ता उद्योग के साथ घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन से उस नुकशान की भरपाई हुई है जिसके अनुचित व्यापार के कारण होने की संभावना रहती है;

(iii) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन कीमतों पर सहमति हुई है और घरेलू उद्योग को चोट की अवधि के दौरान और चोट की अवधि के बाद घरेलू उद्योग को जो कीमतें वास्तव में मिली हैं, उससे कीमतें विक्रय मूल्य से नीचे नहीं आयी हैं;

(iv) निर्यातकों के लिये सहायक कीमतों का रुख और आयात के रूख से ऐसा नहीं लगता है कि यदि प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को कोई नुकशान होगा;

(v) समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार याचिका कर्ता को पूरी कीमत का न मिल पाना ही उस क्षति को पूरा न होने का मुख्य कारण है जो कि कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान उत्पाद का गलत विवरण देने के कारण होने वाले 'लीकेज' के कारण

'यूवी-सीटीपी' प्लेट्स के लिये उत्पादों कि विक्री कम होने के कारण देखने में आई थी;;

और यह सिफ़ारिश की है कि इन तीनों में से किसी भी श्रेणी के उत्पाद प्रतिपातन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और यह भी सिफ़ारिश कि है कि चीन जन वादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित 'डिजिटल आफ़सेट प्रिंटिंग प्लेट्स' के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को सीमाशुल्क टेरीफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के धारा (ख) नियम 14 के अनुसार वापस ले लिया जाय।

अतः अब सीमाशुल्क टेरीफ़ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के नियम 18, 20, और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टेरीफ़ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व विभाग) कि अधिसूचन संख्या 51/2012 -सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 3 दिसंबर 2012, जिसे सा. का. नि. 874 (अ), दिनांक 3 दिसंबर 2012 को भारत के राज-पत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व कि गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुये, करती है।

[फा. सं. 354/45/2012 –टी आर यू(पार्ट. III)]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार